न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

व वाद संख्या 156 / 2017

1. शमसेर पुत्र असरफ खां जाति कायमखानी निवासी पीथूसर तहसील मलसीसर
2. शमसाद अली पुत्र असरफ खां जाति कायमखानी निवासी पीथूसर तहसील मलसीसर
3. नबाब अली पुत्र फैजूखां जाति कायमखानी निवासी पीथूसर तहसील मलसीसर

प्रार्थीगण

बनाम

1. यासीन पुत्र शोकिनस्या जाति काजी निवासी पीथूसर तहसील मलसीसर
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

निर्णय दिनांक 21.12.2021

प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी पेश कर कथन किया गया कि वाके ग्राम पीथूसर की सरहद में भूमि ख0न0 136 रकबा 0.27 है0 प्रार्थीगण की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से सटकर ख0न0 138 रकबा 0.12 है0 अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी काश्तकारी भूमि है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0न0 136 में आवागमन के लिए 3.30 मीटर चौड़ा रास्ता अप्रार्थी नम्बर 1 की भूमि ख0न0 138 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे पूर्व से पश्चिम से रहा है। जिससे प्रार्थीगण को आवागमन का सुखा अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा भी अपनी खातेदारी भूमि ख0न0 136 की दक्षिण सीमा के सहारे सहारे 3.30 मीटर चौड़ा व 28 मीटर लम्बाई तक रास्ता आवागमन के लिये छोड़ा हुआ है। अन्त में ख0न0 138 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे पूर्व से पश्चिम तथा ख0न0 136 की दक्षिण सीमा के सहारे सहारे 3.30 मीटर चौड़ा रास्ता मार्क ए से बी व बी से सी तक नक्शा ट्रेस मे कायम किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि ख0न0 136 व 138 के मध्य रास्ता स्थित है तथा ख0न0 136 के उत्तर में गांव का बड़ा सार्वजनिक चौक स्थित है उक्त आम रास्ते से प्रार्थीगण अपनी भूमि व मकानात में आते जाते रहें है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता कभी नहीं रहा है यह तथ्य भी गलत दर्ज किया गया है कि प्रार्थीगण अपने बुजुर्गो के समय से अपनी खातेदारी भूमि में इसी रास्ते से आवागमन करते रहें हैं। यह तथ्य भी गलत दर्ज किया गया है कि ख0न0 136 के अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं रहा है। प्रार्थीगण के खेत ख0न0 136 के उत्तर दिशा में ग्राम की आबादी का सार्वजनिक चौक पड़ा है। जिसमें से होकर प्रार्थीगण के पूर्वजों के समय से वैकल्पिक रास्ता स्थित है। जिससे वर्तमान में आवागमन कर रहे है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारीज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण संख्या 2 तहसीलदार मलसीसर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार मलसीसर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 07.06.2018 में अंकित किया है कि ख0न0 136 व 138 में रास्ता डोटेड व

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

ही है। मौके पर ख0न0 136 व 138 मे बने मकानों की दक्षिणी सीमा व ख0न0 170 के सीमा के बीच लगभग 2 से 3 मीटर जगह शेष रहती है जिससे पगडण्डीनुमा रास्ता मौके पर बना है। प्रार्थीगण द्वारा बताया गया कि ख0न0 136, 138 व 170 की सीमा पर मौजूदा रास्ते पड़ौसी खातेदारान द्वारा पत्थर लगा देने से ऊंटगाड़ी व अन्य वाहन आदि ले जाने में असुविधा होती है। अतः रास्ता राजस्व रिकार्ड में कायम किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 की बहस श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ताप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा रास्ता कायम करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ताअप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि मौके पर ख0न0 136 में आबादी बसी हुई है। धारा 251क के प्रावधान कृषि जोत की भूमि तक सीमित है। आबादी भूमि पर उक्त प्रावधान लागू नहीं होते है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी संख्या 1 के जवाब एवं तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त रिपोर्ट का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता साहिबान की बहस पर गौर फरमाया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रश्नगत भूमि जिस पर पहुंच हेतु रास्ता चाहा गया है आबादी भूमि के नजदीक है और मकानात बने हुये है। जिससे पृथमदृष्टया यह मालूम होता है। कि मौके पर मकानात बने हुये है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी का यह कथन कि राजस्थान कातश्कारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के प्रावधान कृषि जोत तक सीमित है, सही है। क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पष्ट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे। प्रस्तुत प्रकरण में प्रश्नगत आराजी भूमि जिस पर पहूंच हेतु रास्ता चाहा गया है, राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि तो दर्ज है परन्तु मौके पर भूमि का उपयोग कृषि कार्य में न होकर आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही है। परन्तु धारा 251क के प्रावधान खातेदार की जोत तक पहुंच हेतु रास्ता उपलब्ध कराये जाने तक सीमित है। तमाम तथ्यों साक्ष्य सबूतों एवं दौराने बहस विद्वान अभिभाषको के कथनों के मध्यनजर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251क के प्रावधानों के विपरीत होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क जिसके तहत प्रश्नगत भूमि जिस पर पहूंच हेतु रास्ता चाहा गया है, राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि दर्ज होने के बावजूद मौके पर कृषि उपयोग नहीं होने एवं मौके पर प्रश्नगत भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग होने से धारा 251क के नियम (ख) के प्रावधानों के विपरीत होने से खारीज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर